

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

44, विधान सभा - क्षेत्र - पिथौरागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

2012. 3 जनवरी 2012 विं सभा निर्वाचन (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र मैं, गुलजार खान पुत्र/पुत्री/पत्नी गम्भार खान आयु 52 वर्ष, जो पुरानी चौड़ी वाजार, पिथौरागढ़ का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ -

- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N.A.
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) N.A. राज्य N.A.
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है N.A.
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई N.A.
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गए थे N.A.
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं N.A.

- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। (यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N.A.
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है N.A.
- (iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) N.A. राज्य N.A.
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है N.A.
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे N.A.
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं N.A.

स्थान : पिथौरागढ़ .
 तारीख : 11.01.2012



उल्लाम्भ
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN
RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

प्रारूप 26

12AA 383770

(नियम 4क देखिए)

५५. विधान सभा नि. स्टेम पिठोरागढ़ : निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड वि. सभा नि. २०१२ (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं, गुलजार रवान पुत्र/पुत्री/पत्नी गुप्तकर रवान
आयु ५२ वर्ष, जो पुश्पनी चौक बाजार, पिठोरागढ़
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

1. मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की नियुक्ति नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाही ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं N. A.
(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) N. A.
(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है N. A.

न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई N. A.
तारीख (तारीखों) जिनके आरोप विरचित किये गए थे N. A.
क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं N. A.

उत्तराखण्ड

क्रमांक पृष्ठा - 2.

I solemnly affirmed before me to day
At 12 Am/Pm by
the deponent is identified by Sri/Km./
I have satisfied my self by exami-
that he/she understand the conte...
of this affidavit



सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वर्स्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्यक बात छिपायी नहीं गई है।

.....पिंडीरागढ़..... स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को
सत्यापित किया



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।